हुक्म	
09/10/21 पारुल गुप्ता	प्रकरण पेश हुआ। वकील डिक्रीदार उप-1 वकील डिक्रीदार ने परवाना जारी होने का अवगत कर डिक्री अनुसार परवाना हेतु जारी किया है। अतः रजिस्ट्रार द्वारा की मुताबिक डिक्री अनुसार परवाना हो जाने से अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रही है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नस्ती को बंद हो।

(अनु. दुबे)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)